ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 56/2025 जीसीएगएस : 2025/130 **छिन्द्रपाल सिंह बनाम सरकार** **वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
4.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जवाब सरकार दिनांक 21.07.2025 को पेश हो चुका है। पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/2543 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी निवेदन किया कि प्रकरण में मुख्य अनुतोष जमाबंदी में नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री बलजीत सिंह के स्थान छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह की घोषणा किये जाने से संबंधित है। साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, अन्य खाता की भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा समान अनुतोष का वाद डिक्री किया गया है। वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर चक 3 जीएम खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 32 की कुल 3.289है. भूमि जमाबंदी में काश्तकार के नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री बलजीत सिंह के स्थान छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह की घोषणा किये जाने का अनुतोष चाहा है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर वादी की भूमि चक 3 जीएम खाता सं. 44 में न्यायालय निर्णय दिनांक 06.12.2024 प्र.सं. 06/2024 से प्रार्थी का जेण्डर परिवर्तन उपरान्त खाता में नाम छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह की दुरूस्ती हुई है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ भारत का राजपत्र सं. 36, नई दिल्ली सितम्बर 8–सितम्बर 14, 2018 की प्रति प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय की पत्रावली प्र.सं. 06/2024 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2024 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार वादी छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह का वाद पत्र स्वीकार कर चक 3 जीएम की भूमि में वादी के नाम छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह अंकित करने के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि "चक 3 जीएम खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 32 की कुल 3.289है. भूमि की जमाबंदी में काश्तकार के नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री बलजीत सिंह के स्थान छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह की दुरूस्ती कर वादी छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिए जाते है।" पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय एवं डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:53:32 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर